अध्याय - 5

परियोजना विकासक को वित्तीय अभिलाभ

5.1 अधिशेष कोयला के उपयोग की अनुमति देने में विकासक को वित्तीय अभिलाभ

(i) सासन परियोजना के लिए कोयला ब्लॉक्स का आबंटन

सासन पावर लिमिटेड (सासन यूएमपीपी के विकास के लिए सृजित एसपीवी) को प्रारम्भिक रूप से इसकी कोयला आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो कोयला ब्लॉक्स - मोहर (402 मिलियन टन के भूवैज्ञानिक भंडार) एवं मोहर-अमलोरी विस्तार (198 मिलियन टन के भूवैज्ञानिक भंडार) को आंबटित किया गया था (सितम्बर 2006)। सासन यूएमपीपी के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध में बोलीदाताओं को सूचित किया गया कि 700-800 मिलियन टन के लगभग आ रक्षित वाले कोयला ब्लॉक आबंटित किए जाएंगे और परियोजना के लिए 18-20 मिलियन टन प्रतिवर्ष के उत्पादन वाली कोयला खदान के विकास की आवश्यकता होगी। आबंटन भूवैज्ञानिक भंडार आधार पर किया गया था और चूंकि उपर्युक्त दो ब्लॉक्स से उत्पादन एमओपी द्वारा अपर्याप्त माना गया था फिर भी सचिव (विद्युत) ने सासन यूएमपीपी के लिए दूसरे ब्लॉक के आबंटन के लिए कोयला मंत्रालय (एमओसी) से अनुरोध किया (9 अक्तूबर 2006)। तदनुसार, एमओसी ने सासन यूएमपीपी के लिए वित्तीय बोलियों (7 दिसम्बर 2006) के खोलने से पहले एनटीपीसी लिमिटेड से इसका आबंटन रद्द करने के पश्चात् छत्रसाल कोयला ब्लॉक का आबंटन किया (26 अक्तूबर 2006)। तीन कोयला ब्लॉक्स का कुल भूवैज्ञानिक भंडार 700-800 मिलियन टन पर अनुमानित किया गया था। कोयला ब्लॉक्स के आबंटन के समय पर, परियोजना के लिए कोयले की वास्तविक उपलब्धता के संबंध में डॉटा खनन योजना के अभाव में उपलब्ध नहीं था।

सासन यूएमपीपी बोलीदाता (अर्थात आरपीएल) को दिया गया था जिसने न्यूनतम समीकृत टैरिफ उद्धृत किया था और ठेका करार[15] पर हस्ताक्षर आरपीएल को सासन पावर लिमिटेड (एसपीवी) के हस्तान्तरण के लिए 7 अगस्त 2007 को किए गए थे।

---

[15] *आरपीएल और पीएफसी के साथ शेयर क्रय करार, दलालों और एसपीवी के मध्य विद्युत क्रय करार*

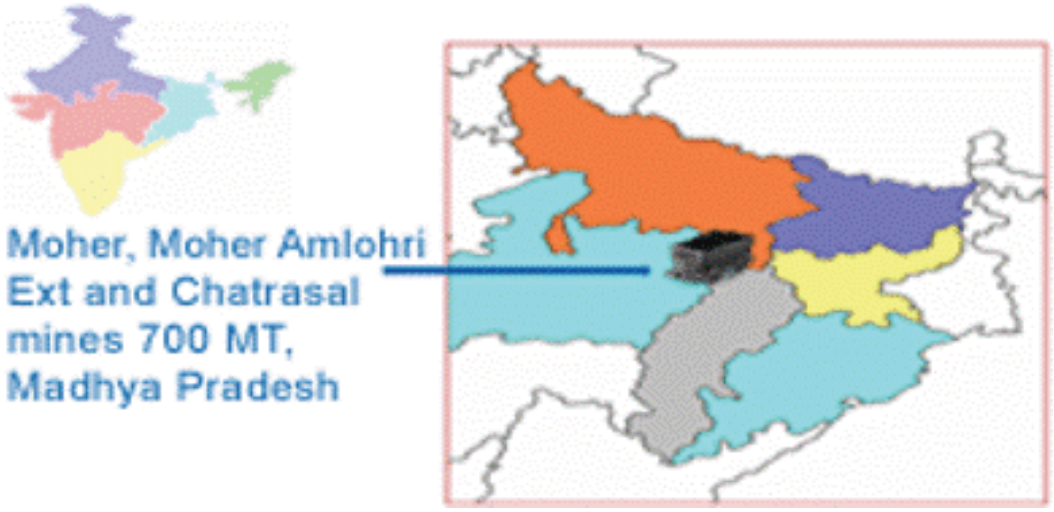

(ii) कोयला ब्लॉक्स में अधिशेष कोयले का अस्तित्व

मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को 2 नवम्बर 2007 को पत्र लिखा जिसमें यह बताया कि इन खानों के समीप चित्रांगी तहसील में आरपीएल द्वारा स्थापित किए जा रहे विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत के सृजन हेतु सासन यूएमपीपी के केप्टिव ब्लॉकों से अधिक कोयले का उपयोग आर्थिक दृष्टि से उचित है। किन्तु यह देखा गया है कि मोहर और मोहर अमलोरी विस्तार तथा छत्रसाल कोयला ब्लॉकों की खनन योजना आरपीएल द्वारा क्रमशः मार्च 2008 (सितम्बर 2008 में संशोधित) और जुलाई/अगस्त 2008 में प्रस्तुत की गई। ठेका प्रदान करने (अगस्त 2007) के तीन महीने बाद आरपीएल को भेजे गए मुख्यमंत्री के उपरोक्त पत्र (नवम्बर 2007) में कोयले की अत्यधिक उपलब्धता को सन्दर्भित किया गया था यद्यपि उस तिथि को इन तीन कोयला ब्लॉकों की खनन योजनाएं उपलब्ध नहीं थी। प्रधान मंत्री के कार्यालय ने कोयला मंत्रालय (एमओसी) के प्रस्तावों पर टिप्पणी मांगी जिसने फिर एमओपी की टिप्पणी मांग ली।

(iii) ईजीओएम के समक्ष मामले

मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश द्वारा किया गया अनुरोध यूएमपीपीज[16] पर ईजीओएम के लिए संदर्भित था। 28 मई 2008 को आयोजित ईजीओएम बैठक के लिए दिनांक 23 मई 2008 के कार्यसूची नोट में, एमओपी ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के अनुरोध की जांच एमओपी द्वारा सीईए के साथ की गई थी और सीईए ने बताया किः

(i) तीन ब्लॉक्स का कुल भूवैज्ञानिक भंडार लगभग 630-700 मिलियन टन पर अनुमानित है और निष्कर्षणीय आरक्षित सामान्यतः भूवैज्ञानिक आरक्षितों का लगभग 70% है फिर

---

[16] *यूएमपीपीज के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में शीघ्रता के लिए पहले गठित (जून 2007)*

भी उपलब्ध वास्तविक मात्रा की जानकारी खनन योजनाओं के तैयार करने के पश्चात् होगी।

(ii) कोयला के लिए 4000 के केल/किलो के औसत सकल केलोरिफिक मूल्य पर विचार करते हुए 25 वर्षों के लिए 90 % प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) पर सासन यूएमपीपी के लिए कोयले की आवश्यकता 18 मिलियन टन प्रतिवर्ष होने वाली निकाली गई। सीईए के निर्धारण के अनुसार, मोहर, मोहर अमलोरी विस्तार एवं छत्रसाल ब्लॉक से निष्कर्षणीय कोयला आरक्षित सासन यूएमपीपी की खपत को हिसाब में लेते हुए सासन यूएमपीपी के लिए मात्र पर्याप्त हो सकती है। इस प्रकार इन तीन कोयला ब्लॉक्स से अतिरिक्त 4000 मेगा वाट विद्युत परियोजना (चित्रांगी परियोजना) के लिए कोयले की आवश्यकता पूरा करना व्यवहार्य नहीं हो सकता।

(iii) यदि अधिशेष कोयला उपलब्ध है तो इसका उपयोग 25 वर्षों से अधिक इसकी विस्तारित अवधि के दौरान सासन परियोजना द्वारा स्वयम् किया जाएगा।

एमओपी ने बताया कि अधिशेष कोयला के निपटान के संबंध में निर्णय यदि कोई हो, को सरकार की प्रचलित नीति/अनुदेश के आधार पर मात्र लिया जा सकता है।

ईजीओएम के लिए दिनांक 23 मई 2008 की कार्यसूची टिप्पणी में एमओपी ने अन्य बातों के साथ-साथ एमओसी को निम्नलिखित सूचित करने का प्रस्ताव दियाः

"कोयला मंत्रालय के आबंटन पत्रों में स्पष्ट रूप से बताया जाए कि इन खानों से उत्पादित कोयले का एक मात्र उपयोग सासन यूएमपीपी में किया जाएगा।

चूंकि स्थल पर खनन कार्यकलाप अभी तक प्रारम्भ नहीं हुए हैं इसलिए वर्तमान में यह निर्णय लेने का कोई आधार नहीं है कि अधिशेष *कोयला इन ब्लॉक्स से उपलब्ध होगा। यदि* अधिशेष *कोयला उपलब्ध है तो इसका उपयोग 25 वर्षों से अधिक इसकी विस्तारित अवधि के दौरान सासन परियोजना द्वारा स्वयम् किया जाएगा।*

इसके अतिरिक्त, फालतू कोयला के निपटान के संदर्भ में निर्णय यदि कोई हो, सुसंगत समय पर सरकार की प्रचलित नीति/अनुदेश के आधार पर मात्र लिया जा सकता है जैसा कि कोयला मंत्रालय के आबंटन पत्र में अनुबद्ध किया गया है।"

ईजीओएम ने मामले पर विचार-विमर्श किया (28 मई 2008) और रिकोर्ड किया गया।

"जबकि एक स्पष्ट सर्वसम्मति थी कि टैरिफ आधारित यूएमपीपी के विकास के लिए आबंटित किसी कोयला खान से कोयले का उपयोग विद्युत के उत्पादन के लिए किया जाएगा फिर भी सामान्यतः यह सहमति हुई कि पहली बार में, कोई विकासक यूएमपीपी परियोजना जिसके लिए कोयला खानें हैं, को कार्यान्वित करेगा। उसके बाद यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या आबंटित खानों से अधिशेष कोयला उपलब्ध था। टैरिफ बोली-प्रक्रिया क्रम के माध्यम से उत्पन्न किसी अतिरिक्त बिजली को बेचा जाना भी उपयुक्त होता। ईजीओएम ने निर्देश दिया कि चित्रांगी परियोजना के स्वामित्व, ऊर्जा विक्रय के प्रकार तथा टैरिफ संरचना के बारे में सूचना मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त की जाए।"

(iv) खानों से उत्पादन बढ़ाने में आरपीएल द्वारा प्रारम्भ में अक्षमता जाहिर करना

आरपीएल ने मार्च 2008 में एमओसी को मोहर एवं मोहर अमलोरी विस्तार खानों के लिए प्रति वर्ष 12 मिलियन टन के स्तर तक उत्पादन के लक्ष्य के लिए एक माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया। 12 मिलियन टन के लिए माईनिंग प्लान प्रस्तुत करते समय आरपीएल से 12 मिलियन टन से परे उत्पादन की संभावना का परीक्षण करने को कहा गया[17] कि सासन डाउनस्ट्रीम यूएमपीपी को मोहर एवं मोहर अमलोरी विस्तार ब्लॉक से प्रक्षेपित कुल आवश्यकता के 16 मिलियन टन मिलने की संभावना थी या नहीं। हालांकि, आरपीएल ने अवगत कराया कि ब्लाक 16 मिलियन टन उत्पादन को नहीं बनाए रख सकते और शेष कोयले की आवश्यकता पूरी करने के लिए उनको छत्रसाल नाम का अन्य ब्लॉक आबंटित किया गया है। यह खान योजना एमओसी द्वारा 4 जून 2008 को अनुमोदित की गई।

(v) "वृद्धिशील" कोयले के उपयोग के लिए अनुमति मॉगने के लिए आरपीएल का दिनांक 06 अगस्त 2008 का पत्र

स्थायी समिति के समक्ष आरपीएल द्वारा मार्च 2008 में स्थिति के आश्चर्यजनक परिर्वतन में, आरपीएल ने दिनांक 6 अगस्त 2008 को विद्युत मंत्रालय को यह कहते हुए पत्र भेजा कि उन्होंने आबंटित कोयला ब्लाकों पर विस्तृत अध्ययन कर लिए हैं और उन्हें नवीनतम विश्वस्तरीय तकनीकों के प्रयोग के विकास के लिए प्रस्ताव दिया जिससे वृद्धि वसूली कारक और उच्च वार्षिक उत्पादन हो। आरपीएल ने अनुरोध किया कि कुछ उपक्रमों के साथ टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोलियों के माध्यम से आपूर्त बिजली, "वृद्धिशील" उत्पादित कोयला समूह के अन्य बिजली परियोजनाओं के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

आरपीएल ने इस प्रकार माना कि अपने पूर्व स्थिति के साथ विचलन में अधिशेष कोयला होगा।

---

[17] ***स्थायी समिति (एमएमडीआर अधिनियम 1957 के अन्तर्गत गठित) की 9.2.2009 की बैठक की कार्यवृत्त् के अनुसार***

आरपीएल का दिनांक 6 अगस्त 2008 का पत्र एमओसी में भी दिनांक 7 अगस्त 2008 को प्राप्त हुआ। दिनांक 14 अगस्त 2008 को हुई ईजीओएम बैठक के लिए एजेंडा नोट मे अन्य बातों के साथ-साथ एक विषय शीर्षक "खानों से यूएमपीपीज़ को आबंटित अधिशेष कोयला, यदि कोई हो, का उपयोग था। इस एजेंडा नोट में आरपीएल के दिनांक 6 अगस्त 2008 के पत्र और इसके परिवर्तित स्वरूप के लिए कोई संदर्भ नहीं दिया गया। ईजीओएम द्वारा आरपीएल के अनुरोध पर विचार किया गया और स्वीकृत किया गया।

(vi) ईजीओएम की सिफारिश

ईजीओएम ने दिनांक 14 अगस्त 2008 को हुई बैठक में देखा कि एमओसी के दिनांक 26 अक्तूबर 2006 के आबंटन पत्र के संदर्भ में, आरपीएल को केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ अधिशेष कोयले को उपयोग करने की अनुमति थी। तदनुसार, ईजीओएम ने एमओसी को निम्नलिखित वचनबद्धता के अध्यधीन आरपीएल की अन्य परियोजनाओं द्वारा सासन यूएमपीपी को आबंटित ब्लाकों से बेशी कोयले का उपयोग आरपीएल को अनुमत करने के लिए संस्तुत किया।

"वर्धित कोयले की मात्रा का निर्धारण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित खान योजना के आधार पर किया जाएगा।

3960 मेगा वाट सासन यूएमपीपी को हमेशा आबंटित ब्लाकों से उत्पादित सभी कोयले पर प्रथम अधिकार एवं अतिव्याप्ति प्राथमिकता होगी और आबंटिती सदैव सुनिश्चित करेगा कि सम्पूर्ण ठेकागत अवधि के लिए यूएमपीपी से उत्पादन को ग्रुप की अन्य परियोजनाओं द्वारा वर्धित कोयले के उपयोग द्वारा प्रभावित करने के लिए अनुमत नहीं किया जाएगा। सासन में सौंपे गए यूएमपीपी में उत्पादन की कोई हानि केवल उपयुक्त कारणों जैसे रखरखाव, मरम्मत आदि के कारण ही होगी।

इन ब्लॉकों से कोयले का अंतिम उपयोग विद्युत उत्पादन तक सीमित होगा।

इन आंतरिक कोयला ब्लॉकों से वृद्धि संबंधी कोयले के उपयोग द्वारा उत्पादित विद्युत प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर टैरिफ के माध्यम से बेची जाएगी"

उपर्युक्त वचनद्धता उसी प्रकार थी जैसी आरपीएल द्वारा अपने पत्र दिनांक 6 अगस्त 2008 में प्रस्ताव किए गए थे।

18 नवम्बर 2008 को एमओसी ने विकासक को पृष्ठांकन के साथ विद्युत मंत्रालय को ईजीओएम की उपर्युक्त सिफारिश का सिद्धांततः अनुमोदन प्रेषित किया।

(vii) खनन योजना और अनुमोदन

मार्च 2009 में एमओसी की स्थाई समिति[18] ने अनुमोदन के लिए छत्रसाल ब्लॉक की खनन योजना (प्रतिवर्ष 5 मिलियन टन उत्पादन) ली। स्थाई समिति के कार्यवृत्त से निम्नवत पता चलाः

"--------सासन यूएमपीपी की समस्त आवश्यकता पूरी करने की ईजीओएम का निर्णय तथा बेशी कोयले का उपयोग इस प्रकार मोहर और मोहर अमलोरी विस्तार ब्लॉक ही के आबंटन से पूरा हो गया। इस प्रकार, प्रथमदृष्ट्या अतिरिक्त ब्लॉक के आबंटन की आवश्यकता का औचित्य इस बात को छोड़कर नहीं था कि तीन ब्लॉकों का उल्लेख बोली दस्तावेज में किया गया था और यह कि ईजीओएम निर्णय भी सासन यूएमपीपी के लिए इन तीन ब्लॉकों का उल्लेख करता है।---------सासन यूएमपीपी को कोयले की आपूर्ति के लिए छत्रसाल कोयला ब्लॉक के आबंटन का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए, समिति मूलतः इस खनन योजना को वापस करने का रूख रखती थी क्योंकि यह मूलरूप से मुख्यतः सासन यूएमपीपी को कोयला आपूर्ति के तात्पर्य के लिए था। तथापि, कोयला उत्पादन बढ़ाने की समग्र आवश्यकता के संदर्भ में व्यापक दृष्टिकोण लेने और वर्तमान ईजीओएम निर्णय तथा क्योंकि यह ब्लाक यूएमपीपी के लिए पहले ही आबंटित था, के परिप्रेक्ष्य में यह महसूस किया गया कि समिति को आगे बढ़ना चाहिए और खनन व्यवहार्यता के अनुसार और स्थाई समिति की सीमा के अन्तर्गत खनन योजना पर विचार करना चाहिए।

इस प्रकार, सचिव (कोयला) की अध्यक्षता वाली स्थाई समिति भी इस तथ्य से अवगत थी कि छत्रसाल कोयला ब्लाक वास्तव में सासन यूएमपीपी के लिए आवश्यक नहीं था परन्तु शिथिलता बर्तनी पड़ी क्योंकि यह ब्लाक बोली दस्तावेज का भाग था और ईजीओएम ने विकासक द्वारा उनकी अन्य परियोजनाओं में बेशी कोयले के उपयोग की संस्तुति पहले ही की थी।

विकासक की चित्रांगी परियोजना में सासन कोयला ब्लॉक से कोयले की 9 मिलियन टन प्रतिवर्ष के अधिकतम तक उपयोग करने के लिए विकासक को अनुमति प्रदान करने की गजट अधिसूचना 17 फरवरी 2010 को जारी की गई थी।

चित्रांगी परियोजना के लिए सासन यूएमपीपी की केप्टिव खानों से फालतू कोयले के उपयोग हेतु अनुमति प्रदान करने का घटना क्रम अनुबंध 4 में दिया गया है।

---

[18] खनिज और खनन (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत गठित

(viii) लेखापरीक्षा आपत्तियां

(a) अधिशेष कोयले का आबंटन

ऊपर उल्लिखित घटना क्रम पर लेखापरीक्षा की आपत्तियां तथा प्रत्येक से उद्भूत निर्णय निम्नलिखित हैं:

(i) इस बात को दर्शाने का कोई आधार नहीं है कि 9 अक्तूबर 2006 को एमओपी इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा कि सासन यूएमपीपी के लिए शुरू में आबंटित ब्लॉक अपर्याप्त होंगे।

(ii) एमओसी को कोयले का एक अतिरिक्त ब्लाक (छत्रसाल) सार्वजनिक क्षेत्र एनटीपीसी से आबंटन वापिस लेकर सासन यूएमपीपी को आबंटित करने के लिए अक्तूबर 2006 में कैसे राजी किया गया था।

(iii) मार्च 2009 तक एमओसी यह विश्वास करता रहा कि दो ब्लॉकों (मोहर और मोहर-अमलोरी विस्तार) से कोयला सासन यूएमपीपी के लिए पर्याप्त था तथा विकासक को एक अतिरिक्त ब्लॉक (छत्रसाल) के लिए आबंटित करने का कोई औचित्य नहीं है।

(iv) मार्च 2008 में, आरपीएल इस बात पर अड़ा रहा कि मोहर तथा मोहर-अमलोरी विस्तार के दो ब्लॉकों से उत्पादन को 12 मिलियन टन से अधिक बढ़ाने की कोई संभावना नहीं थी।

(v) तथापि, 6 अगस्त 2008 को आरपीएल ने नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए अपना इरादा सूचित किया जिसके कारण वसूली बढ़ गई तथा इसके कारण इन तीन ब्लॉकों से निकाला गया कोयला सासन यूएमपीपी की मांग से अधिक हो गया।

(vi) यह वस्तुतः वह स्थिति थी जिसकी मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री को उस समय जानकारी थी जब उन्होंने चित्रांगी को अधिशेष कोयले का विपथन मांगने के लिए नवम्बर 2007 में प्रधान मंत्री को लिखा था।

(vii) ईजीओएम को उसकी 14 अगस्त 2008 को हुई बैठक में आरपीएल द्वारा किए गए इस रहस्योद्घाटन के कारण उसने निर्णय लिया कि वास्तव में अधिशेष कोयला उपलब्ध होगा और यह चित्रांगी को विपथित किया जा सकेगा ।

(b) बोली प्रक्रिया में खराबी

विकासक की अन्य परियोजनाओं में अधिशेष कोयले के प्रयोग की अनुमति ने बोली प्रक्रिया की विशुद्धता को दूषित कर दिया क्योंकि इससे विकासक को पश्च -बोली रिआयतें मिलती हैं जिनका काफी वित्तीय प्रभाव होता है जिसका वर्णन नीचे किया गया है।

- ईजीओएम ने 28 मई 2008 को हुई अपनी बैठक में चित्रांगी परियोजना के स्वामित्व, विद्युत तथा टैरिफ की बिक्री के संबंध में ढांचे के बारे में सूचना मांगी थी। तथापि, मध्य प्रदेश सरकार से यह सूचना लेने से पूर्व, ईजीओएम ने वर्धित कोयले के प्रयोग हेतु अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की (14 अगस्त 2008)।

- 14 अगस्त 2008 को हुई अपनी बैठक में ईजीओएम ने सिफारिश की कि सासन यूएमपीपी के आंतरिक कोयला ब्लाकों से वर्धित कोयले के उपयोग द्वारा सृजित बिजली को **टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली** द्वारा बेचा जाएगा। किन्तु एमओसी (फरवरी 2010) द्वारा आरपीएल को चित्रांगी परियोजना में बेशी कोयले के प्रयोग की अनुमति दी गई थी **जिसका टैरिफ मई 2008 में ₹ 2.45 प्रति यूनिट अर्थात चित्रांगी परियोजना के लिए बेशी कोयले के उपयोग के इजीओएम के निर्णय (अगस्त 2008) से पहले स्वीकार किया गया था।** इस उद्देश्य के लिए आरपीएल ने स्वतंत्र ईंधन प्रबंधन (महानदी कोलफील्ड लिमिटेड से रामपिया में 112.22 मिलियन टन कोयला रिज़र्व और ओडिशा राज्य में रामपिया के गैर कोकिंग कोल ब्लॉकों की डिप साइड) का उल्लेख करते हुए अन्य बोलीदाताओं के साथ बोली लगाई थी।

अपने उत्तर में विद्युत मंत्रालय (दिसम्बर 2011 और मार्च 2012) ने बताया कि चूंकि प्रत्येक योग्य बोलीदाता के पास वित्तीय बोली के प्रस्तुतीकरण से पूर्व कोयला ब्लॉकों के आबंटन के पत्रों के खंडों के बारे में सूचना थी, अतः वाणिज्यिक शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं था।

निम्नलिखित के दृष्टिगत मंत्रालय का तर्क मान्य नहीं है

- कोयला आबंटन पत्र के खंड स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं करते हैं कि केन्द्र सरकार विकासक को उनकी अन्य परियोजनाओं में बेशी कोयले के उपयोग की अनुमति वास्तव में प्रदान कर देगी। यह तथ्य आबंटन पत्रों में अपफ्रंट घोषित नहीं किया गया था और इस मुद्दे पर स्पष्टता के अभाव में, आबंटन पत्रों के खंडों के प्रभाव की व्याख्या बोलीदाताओं पर छोड़ दी गई। आबंटन पत्रों में सुसंगत खंडों को नीचे पुनरूत्पादित किया गया है:-

"इन खानों से उत्पादित कोयले को केवल सासन यूएमपीपी में प्रयोग किया जाएगा"- खंड (i)

"बेशी/मध्यम/अस्वीकृत कोयले के निपटान के लिए तरीका, यदि कोई हो तो, तो वह सुसंगत समय पर प्रचलित नीति/सरकार के निर्देशों के अनुसार होगा और उसमें बेशी/मध्यम/अस्वीकृत कोयले को स्थानीय सीआईएल सहायक कम्पनी या उसके द्वारा किसी भी नामित व्यक्ति को सरकार द्वारा निर्धारित हस्तातंरण मूल्य पर सौंपना भी सम्मलित हो सकता हैं" - खंड (vi)

"केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के अलावा उल्लिखित आन्तरिक खनन उद्देश्यों के अलावा किसी कोयले को बेचा, सुपुर्द या निपटान नहीं किया जाएगा" खंड (xii)

तीनों खंडों को पढ़ने की सामान्य समझ से यह अर्थ निकलता है कि यह प्रतिबंधित हैं और कोयले के गैर-विपथन सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए थे।

- यह प्रतीत होता है कि एनटीपीसी भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा था क्योंकि उन्होंने अपनी बोली में सासन यूएमपीपी की कैप्टिव खदानों से अधिशेष कोयले के उपयोग की संभावनाओं को शामिल नही किया था।

- मै. टाटा पॉवर कम्पनी लिमिटेड जो कि सासन यूएमपीपी के लिए एक बोलीदाता था, ने भी आरपीएल को अधिशेष कोयला विपथन हेतु बोली-पश्चात् अनुमति का विरोध किया है, क्योंकि बोली-पूर्व शर्तों के अध्ययन से उन्हें भी यह निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुआ था। आरपीएल को सासन यूएमपीपी की केप्टिव कोयला खदानों से अधिशेष कोयला उपयोग करने की अनुमति के विरूद्ध टाटा पॉवर कम्पनी लिमिटेड द्वारा दायर की गई विशेष अनुमति याचिका (मई 2009) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित है।

- कोयला खदान के दुरूपयोग के प्रति सुरक्षा मुद्दों पर विचार करते हुए अंतर मंत्रालय समूह (आईएमजी) ने सितम्बर 2007 में नोट किया कि कोयला खदान के आबंटन में स्पष्ट शर्त थी कि कोयला एकमात्र सासन यूएमपीपी के प्रयोजन के लिए उपयोग होना चाहिए अन्यथा पट्टा रद्द किए जाने के लिए दायी था। यूएमपीपी के लिए मानक बोली दस्तावेजों की समीक्षा करने के लिए ईजीओएम की सिफारिश पर अगस्त 2007 में एमओपी द्वारा इस आईएमजी का गठन किया गया था।

- चूँकि ईंधन लागत टैरिफ निश्चित करते समय वाणिज्यिक प्रतिफल का महत्वपूर्ण पहलू है इसलिए बोली लगाने के बाद शर्त का कोई शिथिलन बोली प्रक्रिया का उल्लंघन होगा। चूँकि अन्य परियोजनाओं में बेशी कोयला के उपयोग का स्पष्ट उल्लेख कोयला ब्लॉक आबंटन पत्रों में स्पष्टतः निर्विवाद रूप से नहीं किया गया था इसलिए बोली लगाने वाले बोलीदाताओं जिन्होंने अपना अवसर खो दिया था, को शिथिलित शर्त के अन्तर्गत बोली का समान अवसर नहीं मिला था।

कुल मिलाकर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता हैः

(i) अक्तूबर 2006 में एमओपी की सलाह कि सासन यूएमपीपी में अतिरिक्त कोयला ब्लॉक अपेक्षित होगा, अपर्याप्त डॉटा पर आधारित थी चूंकि मोहर और मोहर-अमलोरी विस्तार की खनन योजना उपलब्ध नहीं थी।

(ii) बेशी कोयला के विपथन को अभिप्राय रूप से अनुमत करने की शर्त न तो अभिप्राय रूप से सुस्पष्ट थी न ही बोली दस्तावेजों में कही गई थी।

(iii) घटनावश ईजीओएम को पर्याप्तता के बारे में सही सूचना अथवा सासन यूएमपीपी को प्रारंभ में आबंटित दो ब्लाकों में कोयला उपलब्धता नहीं दी गई थी जिससे बेशी कोयला के उपयोग की अनुमति का निर्णय हुआ।

(iv) टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली वाली परियोजनाओं के लिए बेशी कोयला उपयोग करने की अनुमति का उल्लंघन हुआ है क्योंकि चित्रांगी परियोजना जिसके लिए अनुमति दी जा चुकी थी, के लिए टैरिफ अनुमति से पहले तय हो चुका था।

सरकार को ईक्विटी एवं निष्पक्षता को भविष्य के यूएमपीपी के लिए बोली लगाने वालों के बीच विश्वास जगाने की आवश्यकता है इसलिए लेखापरीक्षा स्वच्छ कार्रवाई सुनिश्चित करने की सिफारिश करेगी, सरकारी कार्रवाई में अनुकूलता प्राप्त करने के लिए भविष्य के विकासकों के लिए बोली प्रक्रिया के समान कार्यस्थल और पारदर्शिता के लिए तीसरे कोयला ब्लॉक (छत्रसाल) के आबंटन की उचित समीक्षा की जाए। चूँकि विकासक ने प्रतिबद्धता की थी कि वह दो ब्लॉकों से 20 मिलियन टन जुटाने में समर्थ होगा, इसलिए सासन यूएमपीपी को फीड करने के लिए पर्याप्त कोयला होगा।

5.2 वित्तीय प्रभाव

लेखापरीक्षा ने अनुमानित आधार पर सासन यूएमपीपी में आरपीएल को दी गई पश्च बोली रियायत को प्रमाणित करने का प्रयास किया और ये आकड़े स्वरूप में केवल सूचक हैं।

सासन यूएमपीपी के तीन कोयला ब्लाक नामतः मोहर, मोहर-अमलोरी विस्तार और छत्रसाल सौंपा गया था। आरपीएल द्वारा प्रस्तुत खनन योजना के अनुसार मोहर, मोहर-अमलोरी विस्तार प्रतिवर्ष 20 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करेगा और छत्रसाल ब्लॉक प्रतिवर्ष 5 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करेगा जबकि छत्रसाल सासन यूएमपीपी के लिए प्रतिवर्ष 16 मिलियन टन कोयले की आवश्यकता है। परिणामतः, 9 मिलियन टन का बेशी कोयला प्रतिवर्ष आरपीएल को अन्य विद्युत परियोजना अर्थात चित्रांगी में उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। आरपीएल की एमओसी को बताई गई योजना के अनुसार बेशी कोयले से प्रथम वर्ष में 461 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता,[19] 2075 मेगा वाट प्रत्येक वर्ष 2वें से 16वें वर्ष तक और 17 वें, 18 वें, 19वें और 20वें वर्ष में क्रमशः 1383 मेगा वाट, 1153 मेगा वाट, 1153 मेगा वाट और 922 मेगा वाट का उत्पादन होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सासन का टैरिफ आंतरिक खान से सोर्स किए जा रहे कोयले पर आधारित है जबकि चित्रांगी का टैरिफ स्वतंत्र ईंधन व्यवस्था अर्थात कोल इंडियां लिमिटेड अथवा इसकी सहायक कम्पनियों, इ-आक्सन अथवा आयातों इत्यादि से सोर्स किया जा रहे कोयले के आधार पर है। तथापि, यदि सासन यूएमपीपी कोयला ब्लॉकों से कोयले का उपयोग चित्रांगी परियोजना के लिए किया जाता है, तो चित्रांगी परियोजना के लिए आरपीएल द्वारा मूल रूप से उद्धृत टैरिफ कीमती कोयले[20] के अनुमानों के आधार पर नहीं रह जाएगा। आरपीएल द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए उद्धृत टैरिफ नीचे दिए गए हैं।

क्रम संख्या	परियोजना	टैरिफ (प्रतियूनिट रू में)
1.	सासन यूएमपीपी	1.196
2.	चित्रांगी परियोजना (मध्य प्रदेश के लिए-एमपी)	2.450
3.	चित्रांगी परियोजना (उत्तर प्रदेश के लिए)	3.702

---

19 आरपीएल द्वारा एमओसी को दिए गए प्रस्ताव

20 किसी अन्य स्रोत से कोयला काफी खर्चीला होगा (उदाहरण के लिए प्रतिटन ई-आक्सन कीमत ₹ 1782 (2010-11 के लिए सीआईएल डॉटा आधार पर) और आयातित कोयले की उतराई लागत ₹ 2874। (4675 जीसीवी के केलोरेफिक मूल्य के लिए समयोजित नवम्बर 2009 के लिए एनटीपीसी डॉटा पर आधारित)

सासन यूएमपीपी के टैरिफ से चित्रांगी परियोजना के उच्चतर टैरिफ की तुलना से यह देखा गया है कि बेशी कोयले के उपयोग का लाभ अगले 20 वर्षों में उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि चित्रांगी परियोजना के लिए टैरिफ पहले ही आरपीएल की बोली के अनुसार नियत किया गया है। इस प्रकार उनकी प्रक्षेपित क्षमता के आधार पर आरपीएल को अनभिप्रेत लाभ होगा। टैरिफ में अन्तर के प्रभाव के कारण आरपीएल को समग्र वित्तीय लाभ ₹ 11,852 करोड़ के निवल वर्तमान मूल्य सहित ₹ 29,033 करोड़ बनता है। ब्यौरेवार परिकलन **अनुबंध 5 क** और **अनुबंध 5 ख** में किए गए हैं।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2012) कि दो परियोजनाओं की लागतों एवं टैरिफ की तुलना नहीं की जा सकती। परियोजना संरचना जैसे विद्युत सुपुर्दगी का स्थान, सासन यूएमपीपीज के लिए निकासी में सुविधा और चित्रांगी परियोजना के लिए इसके अभाव में अन्तर उद्धृत करते हुए आरपीएल द्वारा इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए गए थे।

लेखापरीक्षा की राय है कि सासन और चित्रांगी परियोजनाओं की बीच तुलना विषय से अलग नहीं है क्योंकि सासन और चित्रांगी परियोजनाएं दोनों

- ✓ 3960 मेगावाट क्षमता की हैं;
- ✓ समान निकटता में स्थित हैं; और
- ✓ समान कोयला खानों से कोयला ले रही हैं।

निष्कर्षः सासन यूएमपीपी में आरपीएल को दी गई पश्च-बोली रियायतों के परिणामस्वरूप आरपीएल को लगभग ₹ 29,033 करोड़ का वित्तीय लाभ हुआ जिसका निवल वर्तमान मूल्य ₹ 11,852 करोड़ है।